न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/1)

1. सुखमन्दर सिंह पुत्र दिदार सिंह जाति जट सिंख साकिन चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. परमप्रीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जट सिंख साकिन चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र विष्णुदत्त जाति विश्नोई साकिन सरदारपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
2. अरज गोदारा पुत्र विजय सिंह जाति विश्नोई साकिन सरदारपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
3. राजबाला उर्फ बाला पुत्री परमेश्वरी पत्नि विष्णुदत्त जाति विश्नोई साकिन हरीपुरा तहसील संगरिया।
4. तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1, 2

निर्णय **दिनांकः 27.01.2026**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 28.12.2020 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ के प्रकारण संख्या 28/2020 अनवान विजय सिंह वगैरह बनाम सुखमन्द्र सिंह के निर्णय दिनांक 28.12.2020 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 28.12.2020 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 3 को जरिये साधारण नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

अति.संभागीय आयुक्त

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस के दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा तथाकथित वसीयत के आधार पर दिनांक 10.02.2020 को तहसीलदार टिब्बी द्वारा इन्तकाल दर्ज करवाने का आदेश इकतरफा तौर पर रेकार्ड का अवलोकन किए बिना प्राप्त कर लिया जबकि उक्त भूमि का वाद सक्षम न्यायालय में सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष 2011 सें इसी भूमि बाबत् जैरकार है। सक्षम न्यायालय द्वारा इसी भूमि बाबत् दिनांक 26.04.2012 को स्थगन आदेश जारी किया था। परमेश्वरी देवी पक्षकार है एवं उक्त स्थगन आदेश के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे समक्ष अपील जैरकार है फिर भी सक्षम न्यायालय के आदेश के बावजूद तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 06.12.2019 स्पष्ट थी कि दावा व स्थगन आदेश उक्त भूमि पर जैरकार है तथा कब्जा काश्त मृतक परमेश्वरी के वारिसान का नही है। तहसीलदार टिब्बी द्वारा वसीयत साबित नही करवाई गई तथा अपीलाधीन आदेश में भी वसीयत साबित नही की गई जो प्रक्रिया अवैध है। दिनांक 06.10.2020 को अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ ने तहसीलदार का आदेश दिनांक 10.02.2020 को निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार को रिमाण्ड इस निर्देश के साथ किया कि सभी पक्षो को सुने तथा इस भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन वाद को देखा जावे। कब्जे की बाबत जांच की जावे, संक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 26.04.2012 का परिक्षण करते हुए पुनः सभी को सुनकर निर्णय पारित करे। रिमाण्ड होने के पश्चात तहसीलदार टिब्बी द्वारा आनन फानन में 20 दिन के अन्दर बिना जांच किए, अपील न्यायालय के आदेश को फलाउट करके पूर्व के तहसीलदार के निर्णय को सही मानकर आदेश पारित कर दिया। अपने स्तर पर कोई निर्णय या जांच नही की। उक्त भूमि नथमल ओसवाल के नाम से 2010 में आराजी काश्त पर थी। मृतक परमेश्वरी के नाम से आराजी काश्त पर आवटन अवैध था क्योकि परमेश्वरी पंजाब की रहने वाली थी। उसको राजस्थान में भूमि आवंटन नही हो सकता था ना ही कमाण्ड भूमि खरीद सकती थी। राज्य सरकार की पाबन्दी थी इस कारण आवंटन शून्य था। बिना किश्त जमा कराये, बिना पुख्ता आवंटन हुए उसी वर्ष सन् 2011 में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदारी कैसे प्राप्त हुई। दिनांक 05.10.2011 को परमेश्वरी देवी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने पंजाब में वसीयत लिखवाई जो सही है या नही प्रमाण नही है। सन् 2011 में गैरखातदारी भूमि थी उसी साल अवैध रूप से खातेदारी कैसे हुई कोई स्पष्ट नही है। भूमि परमेश्वरी देवी की स्वय अर्जित नही थी इस कारण वसीयत भी अवैध है। उक्त अवैध वसीयत के आधार पर सन् 2020 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 इन्तकाल दर्ज करवाते है, इसके पश्चात रिमाण्ड होने पर तुरन्त सन् 2020 में ही कुछ ही दिनो में तहसीलदार से पुनः इन्तकाल का आदेश प्राप्त करते हैं। विवादस्पद भूमि चक 8 ए.जी. का खाता संख्या 42/37 में कुल 22 बीधा भूमि है जो पत्थर नम्बर 219/361 व 362 में है। उक्त भूमि पर 75 वर्षो से अपीलान्ट के पिता व दादा का कब्जा काश्त रहा । मृतक परमेश्वरी देवी की भूमि में उनकी पुत्रियो का भी हक था, अगर भूमि वैध रूप से प्राप्त की गई है तो उन्हे भी नही सुना गया, ना ही उनके हक की भूमि वसीयत से किसी अन्य को नही दी जा सकती। अपीलाधीन आदेश स्पष्टतया खिलाफ कानून है तथा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार टिब्बी दिनांक 28.12.2020 निरस्त योग्य हैं। तहसीलदार ने रिमाण्ड के आदेश की पालना नही की है, जमीन आवंटन हुई नही थी, दावा आदेश के समय विचाराधीन था, वसीयत वैध नही है। राजबाला का 1/2 हिस्सा अलग था वसीयत से प्राप्त नही हुआ था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे। आदेश अधीनस्थ न्यायालय टिब्बी दिनांक 28.12.2020 निरस्त फरमावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1981 पेज 180, RRD 2012 पेज 104, RRD 1998 पेज 368, RRD 1995 पेज 120, RRD 2007 पेज 496, RRD 1995 पेज 27, RRD 1985 पेज 170, RRD 1994 पेज 130, RRD 1995 पेज 556, RRD 2000 पेज 270, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टिब्बी द्वारा पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, उन्होने अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के रिमाण्ड प्रकरण में निर्देश का पालन करते हुए निर्णय दिनांक 28.12.2020 पारित किया गया है। अपीलान्ट का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 09.05.2024 का दावा खारिज हो चुका है। अब कोई स्टे नही है। अपीलान्ट का अपील में कोई टाईटल नही है, राजबाला से अपीलान्ट ने ही जमीन खरीद किया है, उसको वसीयत के आधार पर हिस्सा मिला है। अपीलान्ट को अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ एवं तहसीलदार टिब्बी द्वारा बार–बार अवसर देने के बाद भी अपीलान्ट द्वारा कोई सबूत पेश नही किया गया। किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। वसीयत को सही माना गया है। अपीलान्ट ने राजस्थान से बाहर का प्रश्न अधीनस्थ न्यायालय में नही उठाया गया, अब राजस्थान से बाहर का प्रश्न यहा नही उठा सकते है। केवल कब्जो के आधार पर खातेदारी का प्रावधान नही है। अपीलान्ट का 09.05.2024 को दावा खारिज हो चुका है, सिविल न्यायालय का दावा खारिज हो गया, रेवेन्यू का दावा भी खारिज हो गया है। वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज हुआ है वो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2025 (2) RRT, 1091 Board Of Revenue For Rajasthan Ajmer, Jagdish & ors. V/s Sitaram & anr. - (145) Reference No. 2964/ Jaipur of 97, decided on 3rd June, 2011 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के निर्णय दिनांक 28.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टिब्बी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण को बिना सुनवाई पक्षकार किये यह कहकर अपने निर्णय दिनांक 28.12.2020 में कथन किया कि निर्णय दिनांक 10.02.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्कता नही है। पूर्व निर्णय दिनांक 10.02.2020 को यथावत रखा जाता है। जबकि पूर्व निर्णय अपर जिला कलक्टर हनुमानढ द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2020 को निरस्त कर दिया गया जब अपर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया गया तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टिब्बी रिमाण्ड प्रकरण में उस निर्णय को बिना अन्य साक्ष्य सुनवाई में आये तथ्य लिये वगैर यथावत करना कानूनन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
श्रीगंगानगर

न्यायोचित नही है, यहा यह भी अंकित किया जाना आवश्यक होगा कि परमेश्वरी देवी पत्नी विष्णुदत्त को प्राप्त सम्पत्ति की वसीयत की गई । तहसीलदार राजस्व टिब्बी का निर्णय दिनांक 10.02.2020 के अवालोकन अनुसार तहसीलदार राजस्व टिब्बी स्वय द्वारा अपने निर्णय में राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय का हवाला देकर परमेश्वरी देवी के तीन वारिसान होना अंकित किया गया है जिसमें राजबाला भी एक वारिसान थी जिसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया। फलस्वरूप उपरोक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2020 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में परमेश्वरी देवी की अर्जित सम्पत्ति में विधिक वारिसान/आवश्यक पक्षकारन को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूत पर ध्यान पूर्वक अवलोकन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर